रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2000/वैशाख 8, 1922
No. 91] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2000/VAISAKHA 8, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2000

सं. 8 (आर ई. 2000)/1997—2002

फा. सं. 01/92/180/320/ए एम-99/ई.डी.आई.—सार्वजनिक सूचना सं. 39(आर.ई 99) दिनांक 16-11-99, सार्वजनिक सूचना संख्या 43 दिनांक 15-12-99, सार्वजनिक सूचना संख्या 49 दिनांक 27-1-2000 और सार्वजनिक सूचना संख्या 55 दिनांक 16-3-2000 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार सभी आई.ई.सी. धारकों को पैन संख्य सहित आई.ई.सी. को संशोधित/अद्यतन करना होगा। 28 अप्रैल, 2000 तक अद्यतन करने की तारीख बढाए जाने के बाद भी निर्यातकों और चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पैन संख्या को प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को उजागर किया गया है।

सांविधिक आदेश संख्या 283(अ) दिनांक 31-3-97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा 30 जून, 2000 तक आई.ई.सी. के संशोधन/अद्यतन करने के लिए परिशिष्ट-1क और परशिष्टि-2क में आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख को बढ़ाते हैं। उन मामलों में भी जहां आई.ई.सी. धारक के स्तर में परिवर्तन हो गया है, आवेदन के साथ फोटो, शुल्क आदि देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदक को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 1997—2002 के पैराग्राफ 15.4 (ख) के तहत निर्धारित जुर्माना से छूट दी जाती रहेगी।

1-7-2000 से आयात/निर्यात के परेषण, ऐसे आवेदन के आधर पर एकत्र की गई अद्यतन सूचना के आधार पर निकासी की जाएगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th April, 2000

No. 8(RE-2000)/1997—2002

F. No. 01/92/180/320/AM-99/EDL—Attention is invited to Public Notice No. 39 (RE-99) dated 16-11-99, Public Notice No. 43 dated 15-12-99, Public Notice No. 49 dated 27-1-2000 and Public Notice No. 55 dated 16-3-2000 according to which all IEC holders are required to modify/update the IEC, alongwith PAN Number, issued in their favour. Several representations have been received from the exporters as well as Chambers of Commerce and Industry highlighting the problems in obtaining PAN numbers despite extending the last date for updation upto 28th April, 2000.

In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II Section 3 Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby extends the last date for submission of application in Appendix-1A and Appendix-2A for modifying/updating the IEC upto 30th June, 2000. The application is not required to be accompanied by any other document like photograph, fee etc. even in cases where there is change in the status of the IEC holder. The exemption from penalty laid down under paragraph 15.4(b) of the Handbook of procedure (Vol. 1), 1997-2002 shall continue to be applicable to such applicant.

From 1-7-2000, the consignments of imports/exports shall be cleared on the basis of the updated information collected on the basis of such application.

This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054